

प्रेस विज्ञप्ति

**परमपावन डॉ. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन की व्यक्तिगत कानूनी जीत की प्रशंसा करते हुए  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने एक प्रस्ताव को पारित किया।**

आज आयोजित की गई डीन की बैठक में सर्वसम्मत से एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें पूरे जामिया समुदाय की ओर से परमपावन डॉ. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को व्यक्तिगत कानूनी मामले में उनके द्वारा जीत हासिल करने पर उन्हें बधाई दी गई, जिसके आधार पर 53वें अल-दाई-अल-मुतलक के रूप में उनकी नियुक्ति एवं उनका दाऊदी बोहरा समुदाय का अगुआ बनना शामिल है। परमपावन डॉ. सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कुलाधिपति (चांसलर) हैं।

उक्त कानूनी मामले में मुंबई उच्च न्यायालय में कानूनी कार्यवाही के दौरान कुलाधिपति (चांसलर) सैफुद्दीन के अनुकरणीय लचीलेपन और प्रतिबद्धता के लिए प्रस्ताव में प्रशंसा की गई। यहाँ इस बात का उल्लेख किया गया कि कुलाधिपति (चांसलर) सैफुद्दीन ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया के मूल्यों एवं सिद्धांतों के प्रति अपना अटूट समर्पण कायम रखा।

अंत में इस बात पर भी विचार किया गया कि माननीय कुलाधिपति (चांसलर) अपने दृढ़ नेतृत्व एवं निष्ठा द्वारा विद्यार्थियों, अध्यापकों और कर्मचारियों के प्रेरणास्रोत के रूप में अपना कार्य करते रहेंगे।

जनसंपर्क कार्यालय  
जामिया मिल्लिया इस्लामिया